बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

दिनांक 26.6.19

संख्या–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 8532 / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–47368 दिनांक 27.05.2019 एवं पत्रांक–35159 दिनांक 16.04.2019 द्वारा व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को तदर्थ रूप से पुनर्नियोजित कर निम्नांकित नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	पदस्थापन
1	श्री मो0 इरशाद अली, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, मुंगेर।	31.03.2019	भागलपुर
2	श्री प्रभु नाथ सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम।	31.03.2018	जमुई
3	श्री सुनील कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, शिवहर।	31.01.2018	खगड़िया
4	श्री संतोष कुमार अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर।	31.08.2018	बाँका
5	श्री रविन्द्र पटवारी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया।	31.10.2018	वैशाली, हाजीपुर
6	श्री नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, सीवान।	31.08.2017	सहरसा
7	श्री मो0 शाहिद रईस, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, गया।	31.12.2017	नालन्दा, बिहारशरीफ
8	श्री शाहिद खान, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर।	31.12.2017	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
9	श्री महेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद।	30.04.2017	मधुबनी

10	श्री रामाश्रय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज।	31.07.2017	समस्तीपुर
11	श्री योगेश नारायण सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।	30.06.2018	नवादा
12	श्री विनोद कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा।	31.01.2019	कैमूर, भभुआ
13	श्री नरेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया।	31.01.2019	दरभंगा
14	श्री नजरे इमाम अंसारी, सेवानिवृत्त अध्यक्ष, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना।	30.04.2019	भोजपुर, आरा
15	श्री राम प्रिय शरण सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।	30.04.2017	भागलपुर
16	श्री लल्लन लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर।	28.02.2019	सारण, छपरा
17	श्री सत्येन्द्र रजक, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ।	28.02.2018	अररिया
18	श्री प्रेम चन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम।	31.03.2018	बेगूसराय
19	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा।	30.11.2013	सीतामढ़ी

उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी की पुनर्नियुक्ति पीठासीन पदाधिकारी के पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:–

(i) पुनर्नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थायी तौर पर आरंभ में 06 (छः) माह के लिए होगी। पुनर्नियुक्त अतिरिक्त पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की समीक्षा उच्च न्यायालय, पटना द्वारा की जायेगी और उनके कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा की आवश्यकता होने पर अवधि बढ़ायी जायेगी। पुनर्नियोजन के लिए कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) उनकी नियुक्ति किसी भी समय यहाँ तक कि 06 (छः) माह के पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर समाप्त की जा सकेगी।

(iii) सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन से पेंशन (Commutation सहित) घटाने के बाद शेष राशि पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता देय होगा। पेंशन पर मंहगाई राहत मिलता रहेगा।

(iv) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारियों को परिवहन भत्ता मद में 50 लीटर पेट्रोल के समतुल्य राशि देय होगी परन्तु अलग से उन्हें गाड़ी देय नहीं होगी।

(v) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारी को दूरभाष की सुविधा के लिए 1000/– (एक हजार) रुपये का SIM देय होगा परन्तु मोबाईल अलग से देय नहीं होगा।

(vi) आवासीय सुविधा के बदले जिस शहर में न्यायालय कार्यरत है वहाँ के लिए अनुमान्य दर पर मकान किराया भत्ता देय होगा।

(vii) पीठासीन पदाधिकारियों को उनके एक वर्ष के नियोजन अवधि में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।

(viii) वर्त्तमान में न्यायालय की जो आधारभूत संरचना की सुविधा उपलब्ध है, उसी के तहत न्यायालय तथा कार्यालय कार्यरत रहेगा। इसके लिए अलग से आधारभूत संरचना की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(ix) न्यायिक पदाधिकारियों से संबंधित यह सुविधा विभागीय ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 में वर्णित अन्य संविदा कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/6/19

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–4–04/2016सा0प्र0.......8532....../पटना–15, दिनांक 26-6-19

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

26/6/19

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–4–04/2016सा0प्र0.......8532....../पटना–15, दिनांक 26-6-19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–47368 दिनांक 27.05.2019 एवं पत्रांक–35159 दिनांक 16.04.2019 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

26/6/19

सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/NOTIFICATION